राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2020–21

आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान

आयोजना (जनशक्ति) विभाग
योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
Ph.No. - 0141–2229958,2229928

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	2
2.	संगठन	2
3.	जिला गजेटियर संबंधित कार्यों की प्रगति	2
	चालू वर्ष में जिला गजेटियर लेखन संबंधित किये गये कार्यों का विवरण	3–4
	जिला गजेटियर के अध्यायों में सम्मिलित सूचनाओं का संक्षिप्त विवरण	4–5
4.	जिला गजेटियर की उपलब्धता	5–6
5.	सार–संक्षेप	6
6.	आलोच्य वर्ष की विशेष पहल	6
7.	व्यय विवरण	6
8.	**परिशिष्ट –अ** स्वीकृत/भरे व रिक्त पदों का विवरण	7
9.	**परिशिष्ट –ब** संगठनात्मक ढांचा	8
10.	**परिशिष्ट –स** राज्य/जिला गजेटियर्स प्रकाशन	9–10

1. प्रस्तावना

आयोजना विभाग के अधीन आयोजना (जनशक्ति) विभाग का गठन वर्ष 2010–11 में किया गया है। विभाग द्वारा चरणबद्ध रुप से जिला गजेटियर्स लेखन/अद्यतन का कार्य किया जा रहा है। विभाग में निम्नानुसार प्रथम व द्वितीय चरण के जिलों के जिला गजेटियर्स तैयार किये जा रहे है :–

प्रथम चरणः अलवर, बांसवाड़ा, जोधपुर, हनुमागढ, करौली व प्रतापगढ़।

द्वितीय चरणः भरतपुर, बीकानेर, चूरु, जालौर, जैसलमेर व श्रीगंगानगर।

विभाग में राजस्थान के मूल निवासी बेरोजगार अभियांत्रिकी स्नातक एवं डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों के पंजीयन का कार्य भी वर्ष 2020 तक किया गया, जो कार्य की प्रकृति व उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए रोजगार निदेशालय को हस्तांतरित कर दिया गया।

2. संगठन

आयोजना (जनशक्ति) विभाग का कार्यालय राज्य स्तर पर योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर में स्थापित है, जिसमें कुल 41 पद स्वीकृत हैं। विभाग में स्वीकृत, भरे हुए एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट “अ” तथा विभाग का संगठनात्मक मानचित्र परिशिष्ट “ब” पर उपलब्ध है। विभाग का जिला स्तर पर कोई कार्यालय नहीं है।

3. जिला गजेटियर संबंधित कार्यों की प्रगति

जिला गजेटियर सम्पूर्ण जिले के भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य को दर्शाता है। जिला गजेटियर सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थाओं के संदर्भ हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं उपयोगी दस्तावेज है। विभाग द्वारा प्रथम चरण में अलवर, बांसवाड़ा एवं जोधपुर के जिला गजेटियर्स का अद्यतन एवं नवीन जिलों हनुमानगढ़, करौली व प्रतापगढ़ के जिला गजेटियर्स का लेखन कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 की बजट घोषणा की अनुपालना में 6 जिलों यथा भरतपुर, बीकानेर,

चूरू, जैसलमेर, जालोर एवं श्रीगंगानगर के जिला गजेटियर्स का अद्यतन कार्य भी विभाग द्वारा प्रारम्भ किया जा चुका है। प्रतिवर्ष 6 जिलों के जिला गजेटियर्स लेखन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

चालू वर्ष में जिला गजेटियर लेखन संबंधित किये गये कार्यों का विवरण

लेखन प्रक्रिया

- जिला गजेटियर 15–50 वर्ष पूर्व प्रकाशित किए गये थे। प्रकाशन उपरान्त संबंधित जिलों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक गतिविधियां, शैक्षणिक व जीवन स्तर इत्यादि में परिवर्तन हुए हैं। अतः पूर्व में प्रकाशित जिला गजेटियर्स, विभागीय प्रकाशन, लेखकों द्वारा प्रकाशित विभिन्न पुस्तकें, विभागीय वेबसाइट, विभिन्न सांख्यिकी प्रकाशन इत्यादि का अध्ययन कर जिला गजेटियर में सम्मिलित की जाने वाली विषय सामग्री को 18 अध्यायों में लिखने हेतु अध्यायवार रूपरेखा तैयार की गई।
- राज्य स्तर पर सभी संबंधित विभागों से चर्चा कर विषय–संक्षेप को अंतिम रुप दिया गया तथा जिलों से प्राप्त की जाने वाली सूचनाओं के लिए प्रारूप तैयार किए गए।
- प्रत्येक जिले में जिला अधिकारियों, इतिहासकार, लेखक, स्वयं सेवी संस्थाओं, समाजसेवकों, शोधार्थी इत्यादि के साथ बैठ़क तथा विडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा कर कार्य की महत्ता, प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की गई, ताकि जिलों से प्रेषित की जाने वाली सूचनाओं की पूर्णतयाः जाँच/पुष्टि कर राज्य स्तर पर लेखन हेतु उपलब्ध करवायी जाये।
- राज्य स्तर पर प्रथम व द्वितीय चरण के विभिन्न अध्यायों का लेखन/अद्यतन कर कुल 61 अध्यायों के प्रारुप संबंधित जिले में प्रेषित किये गए। प्रत्येक अध्याय हेतु जिले में अध्याय से संबंधित विभाग के प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन कर अध्याय में दर्ज सूचनाओं की जांच/पुष्टि का कार्य करवाया जा रहा है। इस समिति में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, शोधार्थी, इतिहासकार, शिक्षाविद् इत्यादि को सम्मिलित किया गया है।

- जिले को प्रेषित अध्यायों के प्रारूपों को जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन उपरान्त आयोजना विभाग व संबंधित जिले की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाकर आमजन से भी जिला गजेटियर में दर्ज तथ्यों पर आपत्ति/टिप्पणी मांगी जायेगी।
- उक्त कार्यवाही उपरान्त संपादक–मंडल से प्रारुप का अनुमोदन करवाकर जिला गजेटियर्स का प्रकाशन किया जावेगा।

जिला गजेटियर के अध्यायों में सम्मिलित सूचनाओं का संक्षिप्त विवरणः–

क्र.सं.	अध्याय	विषय सामग्री
1.	सामान्य	जिले के नाम की उत्पत्ति, प्रशासनिक इकाई के रूप में जिले का इतिहास, भौगोलिक स्थिति, नदियां एवं जल स्त्रोत, वनस्पति, जीव जन्तु, जलवायु, प्रमुख वन एवं खनिज सम्पदा आदि का विवरण।
2.	इतिहास	जिले का इतिहास, आजादी के पश्चात घटित उल्लेखनीय ऐतिहासिक घटनाएं/कार्य।
3.	निवासी	जनसंख्या, भाषा, धर्म एवं जाति, रीति–रिवाज, सामाजिक एवं घरेलू जीवन, सामुदायिक जीवन।
4.	कृषि, सिचांई एवं संबंधित गतिविधियॉ	कृषि की सामान्य स्थिति, सिंचाई के स्त्रोत, भूमि का कटाव एवं संरक्षण, खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी विकास, अकाल।
5.	उद्योग एवं खनन	प्राचीन उद्योग, विद्युत उत्पादन एवं विद्युतीकरण, उद्योग एवं कारखानें, औद्योगिक संभावनाएं, खानें एवं खनिज, खादी एंव ग्रामोद्योग।
6.	बैकिंग, व्यापार एवं वाणिज्य	बैंकिग एवं वित्त, जीवन बीमा, राज्य बीमा, ऋण सुविधाएं सामान्य बीमा, स्टॉक एक्सचेंज, व्यापार एवं वाणिज्य, भण्डार व्यवस्था, सहकारिता तथा खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले।

क्र.सं.	अध्याय	विषय सामग्री
7.	परिवहन एवं संचार व्यवस्था	परिवहन एवं यातायात व्यवस्था–सड़क दुर्घटनाएं, वाहन पंजीकरण की स्थिति, सड़क व रेलमार्ग इत्यादि। सूचना एवं संचार व डाक व्यवस्था–डाक घर/ दूरभाष केन्द्र, दूरभाष/ ब्रॉडबैन्ड/ मोबाइल कनेक्शन का विवरण।
8.	आर्थिक एवं व्यवसायिक प्रवृत्तियॉ	जीविका का स्वरूप, जीविकोपार्जन के साधन, मूल्य स्तर(कीमतें), मजदूरी, रहन–सहन का स्तर, रोजगार, योजना एवं विकास।
9.	सामान्य प्रशासन	जिला कलक्टर की प्रशासनिक कानून एवं व्यवस्था, योजना एवं विकास, कोष एवं लेखा, प्राकृतिक आपदाओं संबंधी कार्य में भूमिका एवं अन्य दायित्व।
10.	राजस्व प्रशासन	भू–प्रबन्ध, भू–राजस्व, भू–अभिलेख एवं पंजीकरण, भू–सुधार की प्रक्रिया, राजस्व के अन्य स्त्रोत, राजस्व दावे, आबकारी कर से प्राप्त राजस्व।
11.	कानून व्यवस्था एवं न्याय	पुलिस प्रशासन, रेलवे पुलिस प्रशासन व जेल प्रशासन एवं प्रबन्ध, पुलिस के संबंधित संगठन– गृह रक्षा, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, न्यायपालिका आदि।
12.	अन्य विभाग	जिले में प्रमुख विभागों की भूमिका, उनके द्वारा संचालित योजनाएं एवं प्रगति विवरण।
13.	स्थानीय स्वायत्त शासन एवं पंचायतीराज	जिले में स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग और ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग की भूमिका उनकी संचालित प्रमुख योजनाएं एवं प्रगति।
14.	शिक्षा एवं संस्कृति	प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, कोचिंग संस्थान, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, सतत् एवं साक्षरता शिक्षा, संस्कृति।

क्र.सं.	अध्याय	विषय सामग्री
15.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें	ऐलोपेथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योगा एंव नेचुरोपैथी चिकित्सा सुविधाएं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाएं और उनकी प्रगति।
16.	सामाजिक सेवाएं एवं स्वैच्छिक स्वयं सेवी संगठन	प्रमुख स्वैच्छिक/धार्मिक/सामाजिक संगठनों तथा ट्रस्टों द्वारा समाज कल्याण हेतु चलाई जाने वाली गतिविधियां।
17.	जनप्रतिनिधि, सामाजिक सेवा संगठन एवं मीडिया	लोक सभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, पंचायतीराज चुनाव, नगर निकाय चुनाव, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
18.	पर्यटन एवं दर्शनीय स्थल	पर्यटन एवं दर्शनीय स्थल– प्राकृतिक/ऐतिहासिक/ सामाजिक/धार्मिक/धरोहर आदि का महत्व एवं इतिहास।

<u>जिला गजेटियर की उपलब्धता</u>

विभाग द्वारा पूर्व में प्रकाशित जिला गजेटियर की सूची परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है। इन जिला गजेटियर की प्रतिलिपी आमजन, शोधार्थी, विद्यार्थियों इत्यादि के उपयोगार्थ आयोजना विभाग की वेबसाइट http://plan.rajasthan.gov.in/statistics# पर भी उपलब्ध है। जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। जिलों के सूचना केन्द्र, जिला राजकीय पुस्तकालयों तथा राजकीय महाविद्यालयों में भी जिला गजेटियर की प्रति उपलब्ध करवायी गयी है।

4. सार–संक्षेप

- विभाग द्वारा वर्ष 2020–21 में 12 जिलों के गजेटियर का अद्यतन/लेखन कार्य किया जा रहा है।
- पूर्व में प्रकाशित 30 जिलों के गजेटियर एवं राज्य गजेटियर की ई–बुक्स तैयार कर आयोजना विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई।

5. आलोच्य वर्ष की विशेष पहल

माह दिसम्बर, 2020 तक 61 अध्यायों के प्रारुप तैयार कर जांच/पुष्टि हेतु संबंधित जिले को प्रेषित किए गये।

6. व्यय विवरण

वित्तीय वर्ष 2020–21 में विभाग हेतु राशि 327.10 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया जिनके विरूद्ध माह दिसम्बर, 2020 तक 188.78 लाख रूपये की राशि व्यय की गई है। व्यय राशि का मदवार विवरण निम्न प्रकार हैः–

(राशि लाखों में)

क्र.स.	मद	माह दिसम्बर, 2020 तक व्यय
1.	संवेतन	173.99
2.	यात्रा व्यय	0.18
3.	चिकित्सा व्यय	0.98
4.	कार्यालय व्यय	1.55
5.	वाहन किराये पर	2.81
6.	वर्दी	0.07
7.	कम्प्यूटराईजेशन	0.28
8.	वृत्तिक एवं विशिष्ट सेवा	8.93
योग		**188.78**

परिशिष्ट –''अ''

7. विभाग में स्वीकृत, भरे हुये व रिक्त पदों का विवरण (दिनांक 31.12.2020)

क्र.सं.	स्वीकृत पद का नाम	कुल स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	निदेशक	01	01	–
2.	संयुक्त निदेशक	01	01	–
3.	सहायक निदेशक	03	03	–
4.	सांख्यिकी अधिकारी	03	03	–
5.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम	01	01	–
6.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	05	05	–
7.	अनुसंधान सहायक	01	01	–
8.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–द्वितीय	01	01	–
9.	सांख्यिकी निरीक्षक	03	02	01
10.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	01	–	01
11.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	01	–	01
12.	संगणक	02	02	–
13.	सूचना सहायक	04	04	–
14.	वरिष्ठ सहायक	02	–	02
15.	कनिष्ठ सहायक	03	–	03
16.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	09	05	04
	योग	**41**	**29**	**12**

परिशिष्ट –''ब''

संगठन मानचित्र

राजस्थान सरकार

आयोजना (जनशक्ति) विभाग

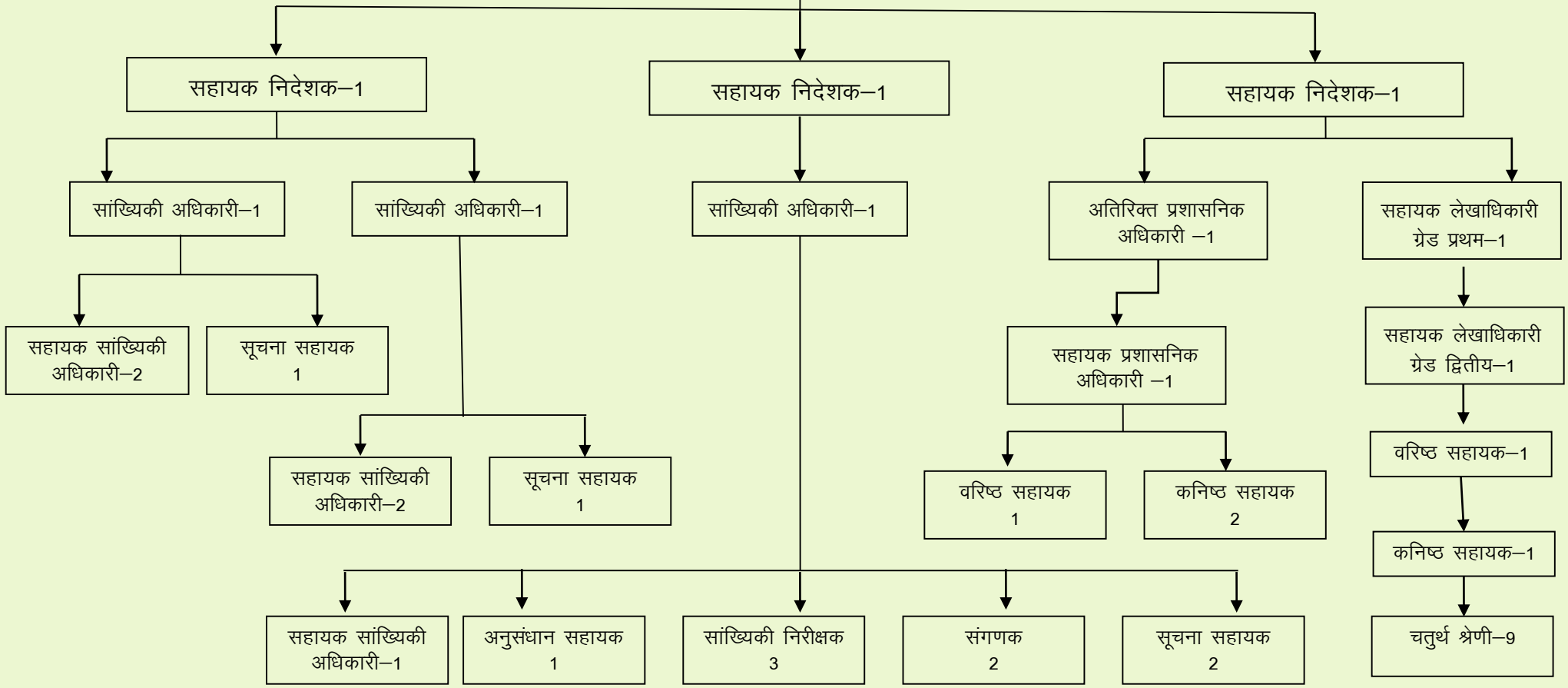

परिशिष्ट –"स"

प्रकाशित राज्य/जिला गजेटियर्स की सूची

क्र.सं.	जिले का नाम व संस्करण	प्रकाशन वर्ष
राज्य गजेटियर्स		
1	वॉल्यूम–I (भूमि और निवासी)	1995
2	वॉल्यूम–II (इतिहास एवं संस्कृति)	1995
3	वॉल्यूम–III (आर्थिक संरचना एवं गतिविधियां)	1996
4	वॉल्यूम–IV (प्रशासन एवं जन कल्याण)	1996
5	वॉल्यूम–V (पर्यटन स्थल)	1996
जिला गजेटियर्स		
1	अलवर (अँग्रेजी)	1968
2	चूरु (अँग्रेजी)	1970
3	भरतपुर (अँग्रेजी)	1971
4	श्रीगंगानगर (अँग्रेजी)	1972
5	बीकानेर (अँग्रेजी)	1972
6	जैसलमेर (अँग्रेजी)	1973
7	जालोर (अँग्रेजी)	1973
8	बाँसवाड़ा (अँग्रेजी)	1974
9	डूँगरपुर (अँग्रेजी)	1974
10	भीलवाड़ा (अँग्रेजी)	1975
11	नागौर (अँग्रेजी)	1975
12	पाली (अँग्रेजी)	1976
13	चित्तौड़गढ़ (अँग्रेजी)	1977
14	सीकर (अँग्रेजी)	1978
15	जोधपुर (अँग्रेजी)	1979
16	उदयपुर (अँग्रेजी)	1979
17	सवाई–माधोपुर (अँग्रेजी)	1981

क्र.सं.	जिले का नाम व संस्करण	प्रकाशन वर्ष
18	कोटा (अँग्रेजी)	1982
19	झुन्झुनूं (अँग्रेजी)	1984
20	जयपुर (अँग्रेजी)	1987
21	बांरा (अँग्रेजी)	1997
22	झालावाड़ (हिन्दी में अद्यतन)	1998
23	बून्दी (हिन्दी में अद्यतन)	1999
24	टौंक (हिन्दी में अद्यतन)	2000
25	दौसा (अँग्रेजी)	2001
26	राजसमन्द (अँग्रेजी)	2001
27	बाड़मेर (हिन्दी में अद्यतन)	2002
28	अजमेर (हिन्दी में अद्यतन)	2002
29	सिरोही (हिन्दी में अद्यतन)	2004
30	धौलपुर (अँग्रेजी)	2005